सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीःनरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 121/2017

लल्लू उम्र 72 साल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा ...प्रार्थी

बनाम

1.बंशी उम्र 67 साल पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा जिला दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः1. श्री वरूण नागर अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक

निर्णय

दि0 08.01.18

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र स्थानांतरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा में विचाराधीन है । न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा के यहॉ वर्तमान में कोई पीठासीन अधिकारी कार्यरत नहीं होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि उक्त प्रकरण में दोनो ही पक्ष वादी व प्रतिवादी सीनियर सिटीजन है एवं वृद्ध भी है। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.07.2017 को दोनो पक्षों ने आपस में मिल बैठकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा करके उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के न होने से उक्त राजीनामा सत्यापित नही हो सका है। दिनांक 3.07.2017 से अब तक लगातार प्रत्येक तारीख पेशीयो पर पक्षकार न्यायालय में आते है लेकिन राजीनामा तस्दीक न होने से वह वापिस चले जाते है। राजीनामें को तस्दीक होकर उस पर निर्णय पारित होने में जो देरी हो रही है। उससे दोनो ही पक्षो को अनावश्यक परेशानी हो रही है एवं मामला अनावश्यक रूप से लम्बित होता जा रहा है। ऐसी परिस्थियों में न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा के यहां लम्बित प्रकरण बंशी बनाम लल्लू आदि वाद संख्या व 39/14 व टी0 आई

क्रमांक 35/14 आगामी तारीख पेशी 05.01.2018 को न्यायालय सहायक कलैक्टर के यहां से न्यायालय उप जिला कलेटर के यहां स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। वैकल्पिक याचना यह भी है कि न्यायालय उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा के यहां से स्थानान्तरित करना उचित न माने तो न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा को प्रकरण राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्याय का यह सिद्धांत है कि जब दोनो पक्षों में राजीनामा हो गया है तो भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो दोनो पक्षो के बीच जो राजीनामा हुआ है उसे यथाशीघ्र सत्यापित कर उस पर आदेश पारित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवादित भूमि से सबंधित वाद विचाराधीन है। वर्तमान में सहायक कलेक्टर, दौसा का पद रिक्त चल रहा है और उनका कार्यभार उप जिला कलेक्टर, दौसा को स्थानांतरित है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन वाद को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा के यहॉ वाद विचाराधीन है। सहायक कलेक्टर दौसा का स्थानांतरण हो जाने पर उनका कार्यभार उप जिला कलेक्टर, दौसा को तभी से दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को उप जिला कलेक्टर, दौसा को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा का कार्यभार उप जिला कलेक्टर के पास है, तो वे नियमानुसार प्रकरण पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, उनको कोई अलग से आदेश पारित करने या विचाराधीन वाद को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रा0 पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानांतरण प्रा0 पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official